न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21 / 2018	22 / 06 / 2018	17 / 10 / 2025

1. प्रेमबाई बेवा जगन्नाथ
2. हजारीबाई पुत्री जगन्नाथ
3. विमल कुमार नाबा. पुत्र जगन्नाथ जर्ये वली माता प्रेमबाई
4. गोबरीलाल पुत्र लालू जातियान बैरवा निवासीगण प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जी तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा
2. बद्रीलाल पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
3. सत्यनारायण पुत्र नामालूम जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा वाल निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
4. बाबूलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवाली प्रेमपुरा तहसीन पीपल्दा
5. बृजमोहन पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. सत्यवीर पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा हाल निवासी भीम नगर गुराडियां थाना भवानीमण्डी तहसील पचपहांड जिला झालावाड राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड०।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

वाद अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम प्रेमपुरा पटवार क्षेत्र प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा में अराजीयात ख.नं. 516 रकबा 1.43 है0, ख.नं. 677 रकबा 0.97है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसके खातेदार वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है। वाथीगण 1 ता 3 मृतक जगन्नाथ के विधिक वारिसान है, सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो आ रहे है तथा लगान आदि भी अपत्ते अपने हिस्से के अनुसार जमा करवाते हैं। दिनांक 7.6.18 को प्रतिवादीगण 2 वा 6 द्वारा धमकी दी गई कि यदि खेत पर आये तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देगे जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण 2 ता 6 से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण 2 ता 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण 2 ता 6 वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कहे। वाद कारण दिनांक के 7–6–18 को उत्पन्न हुआ है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण 2 ता 6 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 516 रकबा 1.43 है.त्र ख0नं0 677 रकबा 0.97 है0 में वादी गण के पक्ष से प्रतिवादीगण 2 ता 6 से विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा किसी प्रकार मदाखलत व मजामहत नहीं करे। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाए।

वादी की ओर से वाद श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 प्रेमबाई, पी0डब्ल्यू0 2 परमानन्द पेश किए। प्रेमबाई ने साक्ष्य शपथ में

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

ग्राम प्रेमपुरा तह0 पीपलदा में आराजीयात ख0नं0 516 रकबा 1.43है0, ख0नं0 677 रकबा 0.97हे0 कृषि भूमि स्थित है जिसमें खातेदार वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है, वादीगण 1 ता 3 मृतक जगन्नाथ के विधिक वारिसान है, सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रेमबाई ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम प्रेमपुरा सम्वत 2070–73 ख0नं0 677 रकबा 0.92हे0 प्रदर्श पी–1, नकल जमाबंदी ग्राम प्रेमपुरा सम्वत 2070–73 ख0नं 516 रकबा 1.43है0 प्रदर्श पी–2, नक्शा ट्रेस ग्राम प्रेमपुरा प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–4 पेश किए।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन उपरान्त पाया कि ग्राम प्रेमपुरा की आराजी ख0नं0 516 रकबा 1.43है0 वादीगण के खातेदारी में दर्ज है साथ ही खसरा नं0 677 रकबा 0.97है0 वादी गोबरीलाल एवं वादी कम 1 ता 3 के पिता के खातेदारी में दर्ज है। जिसपर प्रतिवादीगण किसी भी तरह से कोई भी विधिक अधिकार नहीं रखते हैं। प्रतिवादीगण बिना विधिक अधिकारिता के वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से व्यवधान उत्पन्न कर कब्जा करना चाहते हैं। जिससे वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम प्रेमपुरा की आराजी ख0नं0 516 रकबा 1.43है0, खसरा नं0 677 रकबा 0.97है0 भूमि पर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें, और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। तदनुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21 / 2018	22 / 06 / 2018	17 / 10 / 2025

1. प्रेमबाई बेवा जगन्नाथ
2. हजारीबाई पुत्री जगन्नाथ
3. विमल कुमार नाबा. पुत्र जगन्नाथ जर्ये वली माता प्रेमबाई
4. गोबरीलाल पुत्र लालू जातियान बैरवा निवासीगण प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जी तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा
2. बद्रीलाल पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा
3. सत्यनारायण पुत्र नामालूम जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा वाल निवासी सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०
4. बाबूलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवाली प्रेमपुरा तहसीन पीपल्दा
5. बृजमोहन पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. सत्यवीर पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा हाल निवासी भीम नगर गुराडियां थाना भवानीमण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

<u>वाद अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम प्रेमपुरा की आराजी ख0नं0 516 रकबा 1.43है0, खसरा नं0 677 रकबा 0.97है0 भूमि पर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें, और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 17.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुत0		
मुत0			मिलान		
मिलान					

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)